

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 07.10.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-52 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कुन्नी पुत्र संतोषी नि० केवलपुरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-254/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. शिव कुमार पुत्र राजमणि नि० जैतपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा, 02. विक्रम पुत्र बाल बहादुर नि० केवराही थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-424/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राधे सोनकर पुत्र बुधराम सोनकर नि० काजी तरहर थाना को० देहात गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-422/20, 02. कृपाराम पुत्र छेदी लाल नि० रसूलपुर थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-423/20, 03. शोभा राम पुत्र छेदीलाल नि० रसूलपुर थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-424/20, 04. करिया सिंह पुत्र जगदीश सिंह नि० गोदहा थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-425/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियारेग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

अपहरण करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना को० देहात पुलिस ने अपहरण करने के आरोपी अभियुक्त गोविन्दे पुत्र हरिश्चन्द्र नि० श्री किशन पुरवा थाना को० देहात जनपद गोण्डा को थाना को० देहात में पंजीकृत मु०अ०सं०-416/20, धारा 363 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 01.10.2020 को थाना को० देहात क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना को० देहात में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को० देहात पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मंत्री उर्फ अर्जुन पुत्र जग्गीलाल नि० तॉबेपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—380/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 07.10.2020 को थाना छपिया के उ०नि० अरुण कुमार गौतम मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मनिकरपुर पुल के पास उक्त व्यक्ति को संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर रोक टोक कर चेक किया गया तो अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त को थाना छपिया में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० अरुण कुमार गौतम।
02. का० मुनीब चौहान।
03. का० अभिषेक कुमार।